



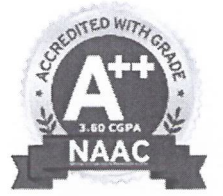
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

Central Sanskrit University

(संसद के अधिनियम द्वारा पारित)
(Established by An Act of Parliament)

जयपुर परिसर, जयपुर (राजस्थान)

Jaipur Campus, Jaipur (Rajasthan)



के.सं.वि.ज./प्रशा./राजभाषा/2025-26/९७०(A)

दिनांक: 15.07.2025

कार्यालय आदेश / Office Order (218A)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक के.सं.वि./रा.का.स/01/रा.भा./2023/716 दिनांक 11.07.2025 के अनुसार समस्त विभाग प्रमुखों को सूचित किया जाता है कि वे अपने-अपने विभाग में सरकारी कार्यों के निष्पादन में अनिवार्य रूप से सभी कार्मिकों से हिन्दी में हस्ताक्षर करवाना सुनिश्चित करें।

साथ ही यह भी सूचनीय है कि विभाग की रबर की मोहर, नामपट्ट, पत्र शीर्ष, सरकारी दस्तावेज, विजिटिंग कार्ड, लोगो, साइन बोर्ड आदि को द्विभाषी (पहले हिन्दी एवं बाद में अंग्रेजी) में बनवाया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हिन्दी के फॉन्ट अंग्रेजी की तुलना में बड़े होने चाहिए।

उक्त कार्यों की निगरानी का दायित्व डॉ. रेखा कुमारी, सह-आचार्य (हिन्दी) को दिया जाता है।




(शंकर जयकिशन)

(Shankar Jaikishan)

अनुभाग अधिकारी/S.O.

प्रतिलिपि / Copy to :-

1. सभी विभागाध्यक्ष एवं विभाग प्रमुख को सूचनार्थ।
2. डॉ. रेखा कुमारी, सह-आचार्य (हिन्दी)।
3. समन्वयक, I.Q.A.C., जयपुर परिसर।
4. शिक्षाशास्त्र विभाग।
5. विद्यावारिधि विभाग।
6. प्रशासन विभाग।
7. लेखा विभाग।
8. पुस्तकालय विभाग।
9. परीक्षा/छात्र अनुभाग।
10. केयर टेकर।
11. कार्यालय आदेश।
12. सम्बन्धित संचिका।